

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 14, 2000/आषाढ़ 23, 1922 No. 469] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 14, 2000/ASADHA 23, 1922

> गृह मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2000

का.आ. 668(अ).--भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ शासित प्रदेश का प्रशासक (चाहे उसे प्रशासक या उप-राज्यपाल या मुख्य आयुक्त कहा जाए) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन और अगले आदेश होने तक अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) के अंतर्गत समुचित सरकार, राज्य सरकार एवं सरकार की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th July, 2000

S.O. 668(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union Territory (whether called an Administrator or a Lieutenant Governor or a Chief Commissioner) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of Appropriate Government, State Government and Government under the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996), within his territorial jurisdiction.

[F. No. U-11030/1/2000-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

[फा. सं. यू.-11030/1/2000-यू.टी.एल.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव